न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः–24/2016 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00114

उनवान

मूर्ति मंदिर श्री बिहारी जी महाराज विराजमान वाके ग्राम खरैरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर जरिये अहतमाम महन्त बाबा रामकरनदास चेला बाबा देवराह निवासी हाल महन्त मूर्ति मन्दिर श्री बिहारी जी महाराज खरैरा तहसील जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. भगवान सहाय पुत्र नानगा उम्र 70 वर्ष जाति गूजर निवासी खरैरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. शिव सिंह पुत्र गिरधर सिंह उम्र 65 वर्ष जाति गूजर निवासी खरैरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन दिनांक 15.3.16 मि.नं. 65/2010 उनवानी मूर्ति मन्दिर बनाम भगवान सहाय

अभिभाषकगण :–

1. श्री सुभाष चन्द शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. अभिभाषक रैस्पो0 श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।

निर्णय दिनांक–09.05.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम खरैरा तहसील रूपवास, मूर्ति मंदिर श्री बिहारी जी महाराज के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण/रैस्पो0 का किसी भी हैसियत से कोई संबंध सारोकार नहीं है। परन्तु प्रतिवादीगण/रैस्पो0 विवादित आराजी को जबरन लट्ठ के बल पर हडपना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व खिलाफ रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने मूर्ति मन्दिर श्री बिहारी जी महाराज को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार मानने के बाबजूद दावा खारिज करने में महान कानूनी भूल की है। अदालत तहत ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि विवादित आराजी पर मूर्ति मन्दिर श्री बिहारी जी महाराज का बतौर खातेदार विधिक कब्जा है जिसमें हस्तक्षेप करने का अन्य किसी भी सख्श को कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी वैधानिक साक्ष्य व दस्तावेज के मन्दिर की कमेटी अस्तित्व में होना, मानकर महान कानूनी भूल की है। गॉव खरैरा के निवासियों द्वारा वैध रूप से गठित कोई भी कमेटी नहीं है तथा कमेटी को कोई भी अधिकार मूर्ति मन्दिर की विवादित आराजी को बोली लगाकर नीलाम करने व पट्टे पर देने का नहीं है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि बाबा रामकरण दास मूर्ति मन्दिर श्री बिहारी जी महाराज खरैरा के अहतमाम है तथा मूर्ति मन्दिर की समस्त सम्पत्ति की देखभाल व्यवस्था करने का अधिकार मूर्ति के अहतमाम को ही प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 12.08.1991 को आधार मानकर निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में महान कानूनी भूल की है जबकि उक्त आदेश से संबंधित दावा ग्रामवासियों द्वारा ही कराया गया था जिससे कोई भी अधिकार भगवान सहाय को मूर्ति मन्दिर श्री बिहारी जी महाराज की सम्पत्ति में हासिल नहीं होते हैं। रैस्पो0 का विवादित भूमि से कोई संबंध सारोकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को खारिज करते हुये रैस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क दिये कि बाबा रामकरण दास को दावा पेश करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है क्योंकि वह विगत कई वर्षो से चौमू जिला जयपुर में निवास करता है तथा अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तथा ट्रस्ट पंजीकरण के बिना धारा 29 राज0 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत मूर्ति की ओर से दावा वर्जित है। वर्तमान में मूर्ति का कब्जा नहीं है एवं ना ही अपीलाण्ट द्वारा कोई फसल बोई गयी है। रैस्पो0 ने उच्चतम बोली लगाकर 1,04,400 रूपये में उक्त विवादित आराजी को मन्दिर कमेटी से एक वर्ष के लिये काश्त पर लिया था तथा आराजी पर कब्जा भी बोली के दिन मन्दिर कमेटी ने रैस्पो0 को सौंप दिया था। अतः वर्तमान में मूर्ति का कोई कब्जा नहीं है एवं जब मूर्ति का कोई कब्जा ही नहीं है तो उसे धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा लाने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2064–67 के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवलोकन से, यह तथ्य तो निर्विवाद है कि विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर की है। अपीलाण्ट स्वयं को मूर्ति मन्दिर का प्रतिनिधि कहता है। किन्तु प्रतिनिधि नियुक्ति का कोई अधिकार पत्र एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में उसे विवादित भूमि में कोई अधिकार सृजित नहीं होते। इसके अलावा स्वयं अपीलाण्ट अपने बयानो में यह स्वीकार करता है कि '' मैं दो साल से हनुमान मन्दिर चौमू में रहता हूॅ तथा आज भी मुझे बयान देने के लिये बुलाया गया है और मैं कल ही चौमू से यहॉ आया हूॅ '' अतः जब अपीलाण्ट स्वयं अपने बयानो में चौमू रहना स्वीकार कर रहा है तो उसका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता एवं बिना कब्जा काश्त अपीलाण्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत वाद पेश करने एवं अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर, कब्जे के अभाव में दावा अपीलाण्ट/वादी खारिज किया है। जिसे हम किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं।

6. हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेश दिनांक 12.08.1991 न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन, मन्दिर का लेखा जोखा एवं रैस्पो0/प्रतिवादी के बयानो से स्पष्ट जाहिर होता है कि नाबालिग मूर्ति मन्दिर श्री बिहारी जी महाराज के हितो की सुरक्षा हेतु रैस्पो0 संख्या 01 भगवानसहाय कार्य करते रहे हैं एवं इसी प्रक्रिया में उक्त आराजी पर सालाना काश्त हेतु कमेटी गठित कर रैस्पो0 संख्या 02 शिवसिंह द्वारा उच्चतम बोली लगाकर विवादित भूमि काश्त पर ली गयी है एवं वक्त दायरी दावा रैस्पो0 संख्या 02 का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त था। इस प्रकार वादी/अपीलाण्ट अपने वाद को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। लिहाजा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन एवं गलत तथ्यों पर होने के कारण काबिल खारिजी है। अतः अपील अपीलांट सारहीन खारिज योग्य है।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2016 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर